

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़।

पत्रांक 173 / एम0बी0ए0डी0पी0-लेखा / धन0आ0 / 2024-25 दिनांक 18 जून, 2024

अधिशाली अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट।

विषय:-मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत योजना हेतु धनराशि का आवंटन।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष आपके विभाग को निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रु0 172.00 लाख (रु0 एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि बैंक ड्राफ्ट संख्या- 090469 दिनांक 18.06.2024 द्वारा संलग्न कर में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।


क्र. सं०	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर का नाम	कार्य का नाम	योजना हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	योजना हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख रु० में)	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुनस्यारी	मदकोट	रा०प्रा०विद्यालय रिंग में भवन निर्माण	36.00	36.00	अधिशाली अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग डीडीहाट	1 विद्यालय भवन विभाग नक्शे के अनुसार निर्मित किया जायेगा, जिसके साथ शौचालय का निर्माण भी किया जायेगा। 2 विद्यालय में पेयजल एवं विजली उपलब्ध कराई जायेगी। 3 पुराना विद्यालय भवन विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 4 विद्यालय भवन निर्माण स्थानीय जनता एवं बच्चों को इसका लाभ होगा। 5 विभाग के पास धनराशि उपलब्ध न होने के कारण योजना एम०बी०ए०डी०पी० में प्रस्तावित किया गया है।
2	कनाली छीना	बाराकोट	ग्राम डांगटी में पशु चिकित्सालय भवन, चाहर दिवारी व मार्ग निर्माण	60.00	60.00	अधिशाली अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग डीडीहाट	ग्राम पंचायत डांगटी क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं। जो कि किराये के भवन में संचालित की जा रही है। जहाँ पर स्थान की कमी, पानी की कमी, आम जनमानस के लिए शौचालय सुविधा का अभाव है व साथ ही कार्यालय स्टाफ के लिए बैठने हेतु स्थान की कमी है। पशु अस्पताल का भवन बनने से ग्रामवासियों को काफी सुविधा मिलेगी साथ ही ग्रामवासियों के पशुओं के इलाज हेतु अन्यत्र पशुचिकित्सालयों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रा०स्वा० केन्द्र भागीचौरा के पास में पशु चिकित्सालय भवन हेतु भूमि उपलब्ध में जिसमें किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है। 1- 3.60m x 3.60m मेडिसिन स्टोर, 3.60x 2.40m डिस्पेन्सरी, 3.60m ग 3.60m डॉक्टर रुम, 1.8x2.40m शौचालय, 1.80x2.40m स्टोर रुम .3.9x4.40 उ पंजीकरण कक्ष, बरामदा 3.90x1.80m लागत-50.00 लाख, 2-चाहर दिवारी, रास्ता, लागत- 10.00 लाख।
3	धारचूला	जुम्मा	विकास खण्ड धारचूला के ग्राम दुग्धू में ईको हट का निर्माण प्रथम चरण	76.00	76.00	अधिशाली अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग डीडीहाट	ईको हट बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। हट 8 नं०-3.50x5.00M, स्टाफ क्वार्टर 1 नं०-5.30x5.00M एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक-4.00x5.00M बनाया जायेगा।
	योग			172.00	172.00		

उपरोक्त धनराशि निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त की गयी है:-


1- प्रत्येक कार्य के आंगणन / लागत पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

- 2- योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जाय। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण - वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
- 3- उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाय एवं कार्यों की प्रगति का समय-समय पर समीक्षा / सत्यापन / मूल्यांकन / अनुश्रवण किया जाय।
- 4- प्रत्येक कार्यों के संबंध में योजनाओं का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया गया है तथा योजना की अनुमोदित लागत के कार्यों को लो0नि0वि0/ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित दरों पर नियमानुसार आगणन गठित कर उनका तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से एवं आगणन पर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाय। तकनीकी स्वीकृति उपरान्त आगणन की एक प्रति अनिवार्य रूप से डी0आर0डी0ए0 कार्यालय को प्रस्तुत की जाय। इसके साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ जो कि जी0पी0एस0 युक्त हो भी उपलब्ध कराये।
- 5- स्वीकृत कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, जैम पोर्टल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रिक्वोमेन्ट रूल 2017 यथा संशोधित तथा शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6-प्रत्येक कार्ययोजना के लिए समयबद्धता निर्धारित कर प्रस्तावित योजना को क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाय।
- 7- प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृति की जा रही है। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जाय।
- 8- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।
- 9- स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति / व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत् संबंधी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
- 10- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग /ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप उच्च कोटि गुणवत्तायुक्त सम्पादित किये जाय एवं भूकम्प अवरोधी प्रविधानों को प्राकलनों में समाविष्ट किया जाय।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।
- 12- समय - समय पर निर्माण कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 13- अनुमोदित योजनाओं / कार्यों को स्वीकृत धनराशि के तहत समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं इस धनराशि को अग्रिम आहरित कर बैंक में न रखा जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में पुनरीक्षित धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का दुरुपयोग /अनियमितता होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 14- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्य पूर्ण के उपरान्त का जी0पी0एस0 युक्त फोटोग्राफ (जिसमें कार्य का नाम, निर्माण वर्ष, कार्य की लागत एवं मद अंकित हो का फोटोग्राफ) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 15- प्रत्येक कार्य के विल, वाउचर एवं अभिलेख कार्यदायी संस्था अपने स्तर पर आडिट इत्यादि कार्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

संलग्न- ड्राफ्ट संख्या- 090469


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

- प्रतिलिपि- 1. लेखाकार एम0बी0ए0डी0 पी0 को इस आशय से कि लेखा अभिलेखों में इसका अंकन करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।